अध्याय- II

मानव संसाधन

यह अध्याय मानव संसाधन यथा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स की उपलब्धता और आवंटन एवं उनकी भर्ती में विलम्ब और मानव संसाधनो के प्रशिक्षण का विश्लेषण करता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्यः क्या लोक स्वास्थ्य में सभी स्तरों, जैसे चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिक्स आदि पर आवश्यक मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी?

अध्याय का सारांश

- भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवा इकाईयों में मानव शक्ति के लिए मानदंड निर्धारित करता है। सतत विकास लक्ष्य विजन 2030, उत्तर प्रदेश गुणवत्तापरक देखभाल एवं रोगी सुरक्षा के लिए इकाई स्तर पर भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों के अनुसार मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है ।
- राज्य सरकार द्वारा 100 शैय्या वाले संयुक्त जिला चिकित्सालय के अतिरिक्त विभिन्न क्षमता के जिला चिकित्सालयों के लिए स्वीकृत किए जाने वाले मानव संसाधन हेतु कोई मानक तय नहीं किया गया। अग्रेतर, राज्य सरकार ने भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के मानदंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु 46 के सापेक्ष 17 पद और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंड के 13 पद के सापेक्ष दो पदों के मानक तय किए।
- राज्य में 87,279 चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिक्स कर्मचारियों की स्वीकृत पदों के सापेक्ष मार्च 2022 तक 54,696 कार्मिक उपलब्ध थे। मानव संसाधनों में कुल 38 प्रतिशत की कमी थी जिसमें 38 प्रतिशत चिकित्सकों, 46 प्रतिशत नर्सों और 28 प्रतिशत पैरामेडिक्स कर्मचारियों की कमी सम्मिलित है। भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब हुआ था।
- नमूना जांच किए गए स्वास्थ्य इकाईयों में, लेखापरीक्षा द्वारा चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिक्स के स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिकता एवं कमी दोनो ही पायी गयी साथ ही साथ भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंड मानव संसाधनों के असममित वितरण को इंगित कर रहे थें।

2.1 परिचय

सार्वजनिक क्षेत्र के चिकित्सालयों के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने हेतु, चिकित्सालयों में विभिन्न संसाधन प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करना आवश्यक है। चिकित्सालयों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता काफी हद तक चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों, पैरा-मेडिकल और अन्य सहायक कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर करती है।

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य इकाईयों में मानव शक्ति के लिए मानदंड निर्धारित करता है। सतत विकास लक्ष्य विजन 2030, उत्तर प्रदेश[1] गुणवत्तापरक देखभाल एवं रोगी सुरक्षा के लिए इकाई स्तर पर भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों के अनुसार मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है ।

2.2 मानव संसाधनों का ऑकलन

राज्य में चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिक्स के 31 मार्च 2022 तक 87,279 पद स्वीकृत थे। इसमें 2016-22 के दौरान सृजित 24,247 नए पद (चिकित्सकः 3,877, नर्सः 13,958 और पैरामेडिक्सः 6,412) सम्मिलित थे। स्वीकृत पदों के सापेक्ष चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिक्स की उपलब्धता **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: स्वीकृत पद के सापेक्ष राज्य में 31 मार्च 2022 को चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिक्स की उपलब्धता[2]

क्र०सं०	पद	स्वीकृत पद	उपलब्धता	कमी	कमी का प्रतिशत
1	चिकित्सक	27822	17323	10499	38
2	नर्स	31503	16994	14509	46
3	पैरामेडिक्स	27954	20112	7842	28
योग		**87279**	**54429**	**32850**	**38**

(स्रोतः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ; राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई; महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

तालिका 2.1 से यह देखा जा सकता है कि राज्य में 38 प्रतिशत चिकित्सकों और 46 प्रतिशत नर्सों की महत्वपूर्ण कमी थी। परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य इकाईयों में महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रभावित थीं जैसाकि इस प्रतिवेदन के **अध्याय**-III में चर्चा की गयी है।

[1] अतिरिक्त निर्देशन (2017-24)।

[2] राजकीय एवं स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों के मई 2022 के आँकड़े।

अग्रेतर, राज्य के 106[3] जिला चिकित्सालयों, 840[4] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 3,513 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 20,776 उप-केन्द्रों में मानव संसाधनों के उपलब्धता की स्थिति **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: जिला चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप-केन्द्रों में मानव संसाधनों की उपलब्धता

विवरण	स्वीकृत पद	तैनाती की स्थिति	उपलब्धता (प्रतिशत)
जिला चिकित्सालय			
चिकित्सा अधिकारी[5]	3639	2207	61
नर्स[6]	5552	4051	73
पैरामेडिक्स[7]	2700	2141	79
अन्य[8]	6634	4986	75
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र			
चिकित्सा अधिकारी	9579	4562	48
नर्स	8139	5422	67
पैरामेडिक्स	8945	5598	63
अन्य	7108	3706	52
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र			
चिकित्सा अधिकारी	5965	3829	64
नर्स	4464	2070	46
पैरामेडिक्स	14346	9182	64
अन्य	8448	4225	50
उप-केंद्र			
पैरामेडिक्स	45190	29148	65
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी	4833	3089	64

(स्रोतः जिला चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश द्वारा एचएमआईएस आँकड़ा उपलब्ध कराया गया)

तालिका 2.2 चिकित्सालयों के सभी स्तरों पर सभी संवर्गों में कमी को दर्शाता है। जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों की उपलब्धता 48 प्रतिशत से 64 प्रतिशत के मध्य थी। अग्रेतर, जिला चिकित्सालयों में नर्सों और पैरामेडिक्स की अधिकतम उपलब्धता देखी गई। जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक

[3] 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, भदोही संचालित नही था।

[4] राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा 840 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 3513 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 20776 उप-केन्द्रों से सम्बंधित सूचना एचएमआईएस आकड़ों से प्रदान की गई है।

[5] जिला चिकित्सालय (एसएसपीजी, वाराणसी) द्वारा चिकित्सकों की सूचना उपलब्ध नही कराई गई।

[6] तीन जिला चिकित्सालयों (चित्रकूट, सम्भल एवं वाराणसी) द्वारा नर्सो की सूचना उपलब्ध नही कराई गई।

[7] तीन जिला चिकित्सालयों (चित्रकूट, सम्भल एवं वाराणसी) द्वारा पैरामेडिक्स की सूचना उपलब्ध नही कराई गई।

[8] 18 जिला चिकित्सालयों द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई गई।

स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप-केन्द्रों में मानव संसाधनों का ब्यौरा **परिशिष्ट 2.1 (अ-द)** में दिया गया है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों की जनपदवार स्वीकृत संख्या के सापेक्ष तैनाती की स्थिति के प्रतिशत को निम्नलिखित मानचित्रों में दर्शाया गया हैः

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिलावार स्वीकृति के सापेक्ष चिकित्सा अधिकारी की तैनाती का प्रतिशत

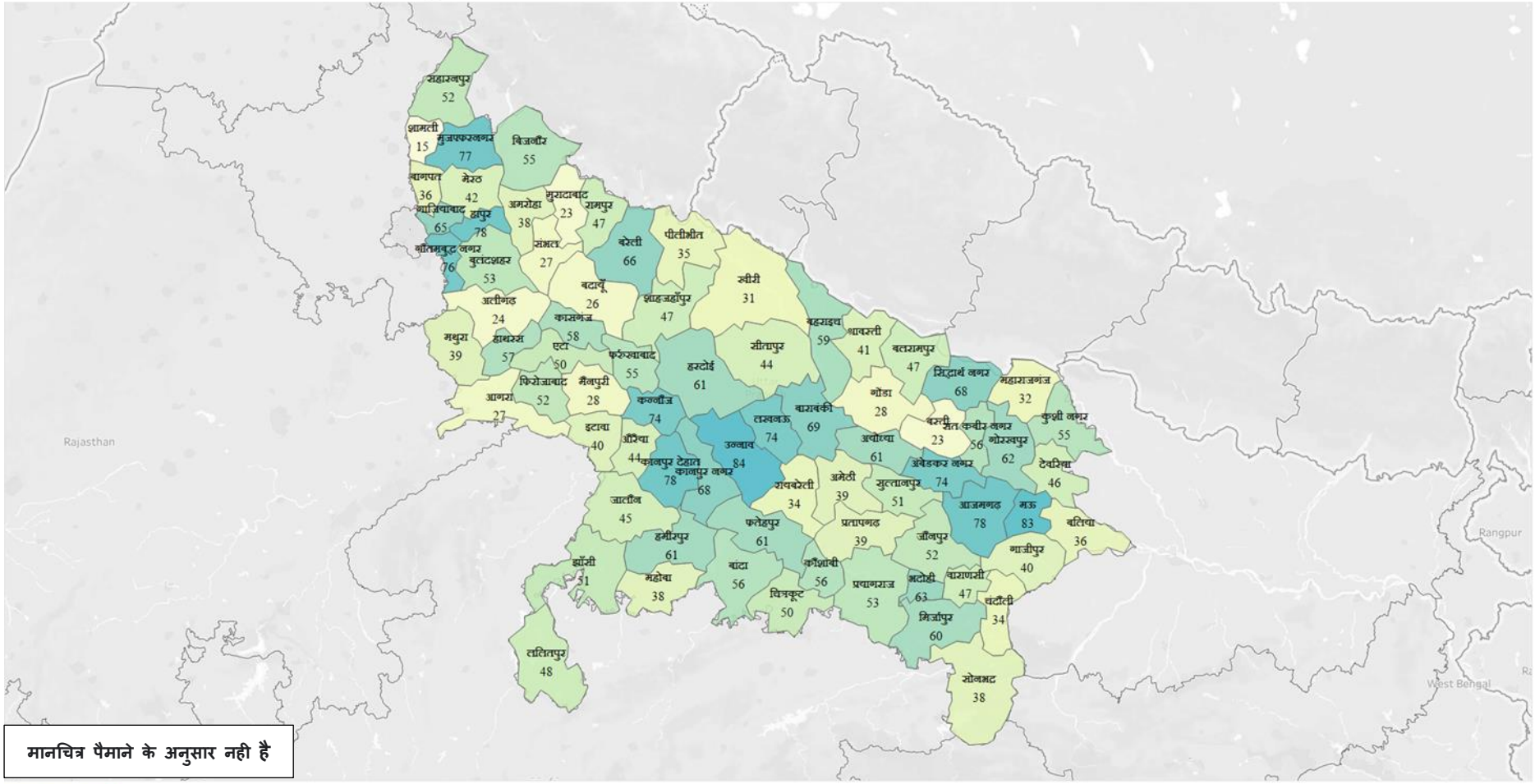

मानचित्र पैमाने के अनुसार नही है

15 84

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिलावार स्वीकृति के सापेक्ष चिकित्सा अधिकारी की तैनाती का प्रतिशत

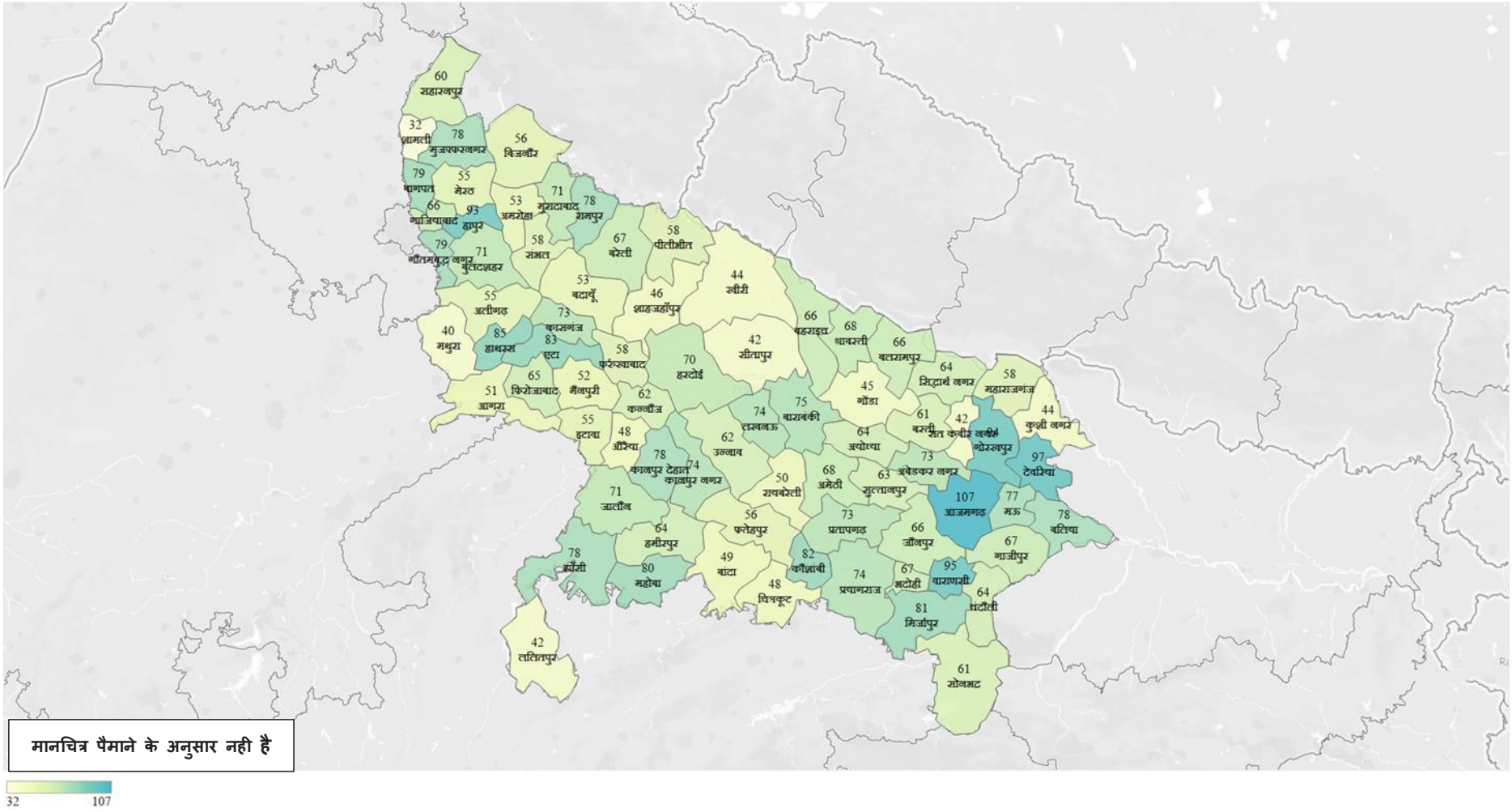

मानचित्र पैमाने के अनुसार नही है

32 107

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

2.2.1 मानव संसाधनों के आवंटन के लिए मानदंड

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई है कि अंतः रोगी विभाग में रोगियों को उचित चिकित्सा प्रदान करने के लिए चिकित्सकों और नर्सों को चौबीसों घंटे उपलब्ध होना चाहिए। ये दिशानिर्देश विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों में स्वीकृत शैय्या के अनुसार उपलब्ध होने वाले चिकित्सकों और नर्सों की न्यूनतम संख्या भी निर्धारित करता है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में उपलब्ध स्वास्थ्य इकाईयों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मानव संसाधनों के आवंटन के लिए मानदंड भी निर्धारित किए गये थे जैसा कि **तालिका 2.3** में दिया गया है ।

तालिका 2.3: मानव संसाधनों के आवंटन के लिए मानदंड

क्र० सं०	चिकित्सा इकाई	शैय्या क्षमता	मानवशक्ति के लिए भारतीय सार्वजानिक स्वास्थ्य मानक मानदंड	मानवशक्ति का विवरण (भारतीय सार्वजानिक स्वास्थ्य मानक मानदंड)	मानवशक्ति के लिए राज्य सरकार का मानदंड	मानवशक्ति का विवरण
1.	उप-केंद्र	00	02	ए. एन. एम. - 01 स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता- 01	कोई मानदंड निर्धारित नही	
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	04	13	चिकित्सक - 01 नर्स - 03 पैरामेडिक्स - 05[9] प्रशासनिक - 04	02	चिकित्सक-01 पैरामेडिक्स-01
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	30	46	चिकित्सक - 11 नर्स - 11 पैरामेडिक्स - 11 प्रशासनिक - 13	17	चिकित्सक-06 नर्स - 03 पैरामेडिक्स-05 प्रशासनिक-03
4.	जिला चिकित्सालय	31 से 50	77	चिकित्सक - 20 नर्स - 18 पैरामेडिक्स - 27 प्रशासनिक - 12	कोई मानदंड निर्धारित नही	
		51 से 99	112	चिकित्सक - 24 नर्स - 30 पैरामेडिक्स - 43 प्रशासनिक - 15	कोई मानदंड निर्धारित नही	
		100	117	चिकित्सक - 29 नर्स - 45	127 (संयुक्त जिला	चिकित्सक-34 नर्स - 38

[9] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उप-केन्द्र के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रत्री सम्मिलित है।

क्र० सं०	चिकित्सा इकाई	शैय्या क्षमता	मानवशक्ति के लिए भारतीय सार्वजानिक स्वास्थ्य मानक मानदंड	मानवशक्ति का विवरण (भारतीय सार्वजानिक स्वास्थ्य मानक मानदंड)	मानवशक्ति के लिए राज्य सरकार का मानदंड	मानवशक्ति का विवरण
				पैरामेडिक्स - 31 प्रशासनिक - 12	चिकित्सालयों के लिए)	पैरामेडिक्स-19 प्रशासनिक-36
		200	181	चिकित्सक - 34 नर्स - 90 पैरामेडिक्स - 42 प्रशासनिक - 15	कोई मानदंड निर्धारित नही	
		300	272	चिकित्सक - 50 नर्स - 135 पैरामेडिक्स - 66 प्रशासनिक - 21	कोई मानदंड निर्धारित नही	
		400	345	चिकित्सक - 58 नर्स - 180 पैरामेडिक्स - 81 प्रशासनिक - 26	कोई मानदंड निर्धारित नही	
		500	422	चिकित्सक - 68 नर्स - 225 पैरामेडिक्स - 100 प्रशासनिक - 29	कोई मानदंड निर्धारित नही	

(स्रोतः उप-जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक दिशानिर्देश 2012 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 100 शैय्या वाले संयुक्त जिला चिकित्सालय हेतु राज्य सरकार के मानदंड)

यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने 100 शैय्या वाले संयुक्त जिला चिकित्सालय को छोड़कर विभिन्न शैय्या क्षमता के लिए स्वीकृत किए जाने वाले जिला चिकित्सालयो के मानव संसाधन हेतु कोई मानक तय नहीं किया है।

यह देखा गया कि राज्य में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा था। राज्य सरकार ने भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंड के 13 पदों के सापेक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए दो पद (केवल 15 प्रतिशत) निर्धारित किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के संबंध में, राज्य सरकार ने भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंड के 46 पदों के सापेक्ष 17 पद (केवल 37 प्रतिशत) के मानक निर्धारित किए थे। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 11 चिकित्सकों, 11 नर्सों और 11 पैरामेडिक्स के मानदंडों के विपरीत, राज्य सरकार ने प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में छः चिकित्सकों, तीन नर्सों और पांच पैरामेडिक्स के मानक निर्धारित किए थे।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के साथ-साथ राज्य सरकार के मानदंडों के सापेक्ष मानव संसाधनों के उपलब्धता की स्थिति आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

2.3 चिकित्सकों का क्षेत्रवार आवंटन

राज्य में चिकित्सकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों (अक्टूबर 2021) के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा उत्तर प्रदेश के चार क्षेत्रों (बुंदेलखंड, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी) में चिकित्सकों के वितरण का विश्लेषण किया गया, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-2.2** में और **तालिका 2.4** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.4: अक्टूबर 2021 तक चिकित्सकों का क्षेत्रवार आवंटन

क्षेत्र	जिलों की संख्या	जनसंख्या (अक्टूबर 2021)	अक्टूबर 2021 तक चिकित्सकों की उपलब्धता	चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात	राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में क्षेत्र की जनसंख्या (प्रतिशत में)	कुल उपलब्ध चिकित्सकों की तुलना में क्षेत्र में चिकित्सकों का आवंटन (प्रतिशत में)
बुंदेलखंड	7	11864411	855	13877	4.85	5.66
मध्य	10	43625777	3400	12831	17.82	22.49
पूर्वी	28	97390017	6351	15335	39.79	42.01
पश्चिमी	30	91875506	4513	20358	37.54	29.85
योग	**75**	**244755711**	**15119**	**16189**	**100.00**	**100.00**

(स्रोतः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)

राज्य में जनपदवार चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात निम्नलिखित मानचित्र में दर्शाया गया है

जनपद-वार प्रति डॉक्टर जनसंख्या

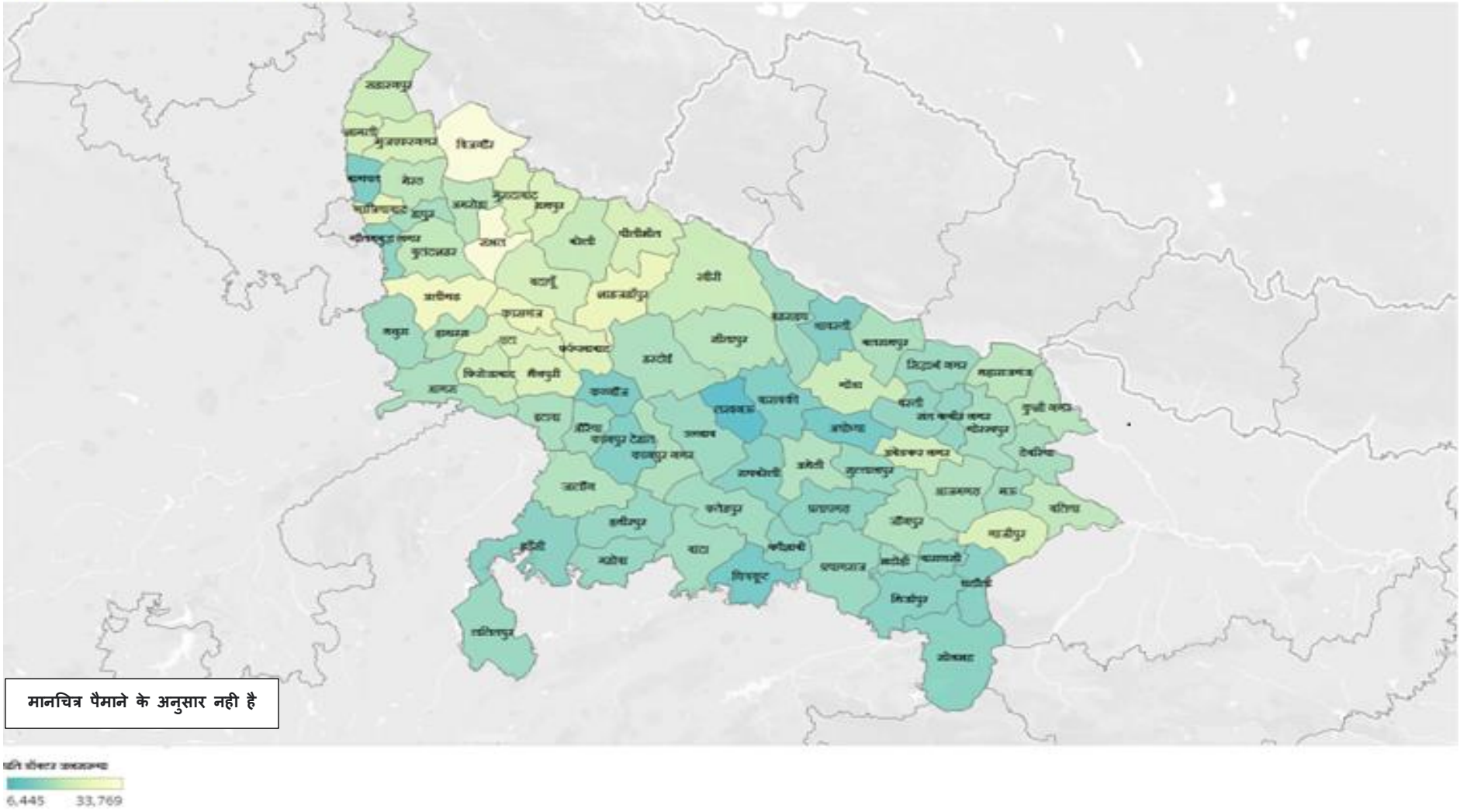

तालिका 2.4, परिशिष्ट 2.2 और ऊपर दिए गए मानचित्र से ज्ञात होता है किः

- बुंदेलखंड, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में 5.66 प्रतिशत, 22.49 प्रतिशत और 42.01 प्रतिशत चिकित्सक तैनात किए गए थे, यद्यपि इन क्षेत्रों द्वारा राज्य की जनसंख्या का मात्र 4.85 प्रतिशत, 17.82 प्रतिशत और 39.79 प्रतिशत को आच्छादित किया गया था; तथा
- पश्चिमी क्षेत्र में मात्र 29.85 प्रतिशत चिकित्सक उपलब्ध थे, यद्यपि यह राज्य की 37.54 प्रतिशत आबादी को आच्छादित करता था। मध्य क्षेत्र के लखनऊ में सबसे कम चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात (6,445 जनसंख्या हेतु एक चिकित्सक) था, जबकि पश्चिमी क्षेत्र के बिजनौर में अधिकतम चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात (33,769 जनसंख्या के लिए एक चिकित्सक) था।

इस प्रकार, यद्यपि राज्य में 38 प्रतिशत चिकित्सकों की कमी थी, फिर भी उपलब्ध चिकित्सकों का उपयोग कुशलतापूर्वक नहीं था क्योंकि जनसंख्या आच्छादन के आधार पर चिकित्सकों की तैनाती नहीं की गयी थी।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

2.4 तृतीयक स्तर के चिकित्सालयों में मानव संसाधन

राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों और स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध चिकित्सकों की तुलना में स्वीकृत पदों का विवरण **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5: राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की उपलब्धता की स्थिति

संवर्ग	1 अप्रैल 2017 को स्वीकृत संख्या	1 अप्रैल 2017 को उपलब्धता	कमी	कमी का प्रतिशत	मई 2022 तक स्वीकृत संख्या	मई 2022 तक उपलब्धता	कमी	कमी का प्रतिशत
चिकित्सक	1844	1227[10]	(-)617	33	1997	1427[11]	(-)570	29

(स्रोतः महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

तालिका 2.5 इंगित करता है कि मई 2022 तक राजकीय मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष उनकी उपलब्धता में पर्याप्त कमी (29 प्रतिशत) थी। यद्यपि, अप्रैल 2017 से मई 2022 तक में कमी 33 प्रतिशत से

[10] 412 संविदा सम्मिलित।

[11] 513 संविदा सम्मिलित।

घटकर 29 प्रतिशत रह गई थी। चिकित्सकों की कमी रोगियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रदान करने को प्रभावित करेगा।

अग्रेतर, उत्तर प्रदेश में स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की उपलब्धता की स्थिति **तालिका 2.6** में दी गई है।

तालिका 2.6: राज्य के स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की उपलब्धता की स्थिति

संवर्ग	1 अप्रैल 2019 को स्वीकृत पदों की संख्या	1 अप्रैल 2019 को उपलब्धता	कमी	कमी का प्रतिशत	मई 2022 तक स्वीकृत पदों की संख्या	मई 2022 तक उपलब्धता	कमी	कमी का प्रतिशत
चिकित्सक (स्वायत्त मेडिकल कालेज)	235	184[12]	(-) 51	22	790	526[13]	(-)264	33

(स्रोतः महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

तालिका 2.6 से यह देखा जा सकता है कि राज्य में नौ नए स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के कारण स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की स्वीकृत संख्या 235 से बढ़कर 790 (555 पद) हो गई थी। अग्रेतर, भर्ती प्रक्रिया की धीमी गति के कारण कमी भी 22 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत हो गई थी।

उत्तर प्रदेश में स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों सहित मेडिकल कॉलेजों में नर्सों और पैरामेडिक्स की उपलब्धता की स्थिति **तालिका 2.7** में दी गई है।

तालिका 2.7: राज्य के स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों सहित राजकीय मेडिकल कॉलेजों[14] में नर्सों और पैरामेडिक्स की उपलब्धता की स्थिति

संवर्ग	1 अप्रैल 2017 को स्वीकृत पदों की संख्या	1 अप्रैल 2017 को उपलब्धता	कमी	कमी का प्रतिशत	मई 2022 तक स्वीकृत पदों की संख्या	मई 2022 तक उपलब्धता	कमी	कमी का प्रतिशत
नर्स	1482	929	(-)553	37	2239	982	(-)1257	56
पैरामेडिक्स	868	501	(-)367	42	847	530	(-)317	37
योग	**2350**	**1430**	**(-)920**	**39**	**3086**	**1512**	**(-)1574**	**51**

(स्रोतः महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

[12] 50 संविदा सम्मिलित।

[13] 129 संविदा सम्मिलित।

[14] महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आँकड़े उपलब्ध न कराये जाने के कारण राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़, जालौन एवं झाँसी के मानवशक्ति सम्मिलित नही है।

तालिका 2.7 से यह देखा जा सकता है कि पैरामेडिक्स संवर्ग में अप्रैल 2017 में कमी 42 प्रतिशत से घटकर मई 2022 में 37 प्रतिशत रह गई, तथापि कमी अभी भी महत्वपूर्ण थी। यद्यपि, नर्सों की कमी अप्रैल 2017 से मई 2022 तक 37 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत हो गई।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

2.4.1 नमूना जाँच किये गये मेडिकल कॉलेजों में मानव संसाधन

नमूना जांच किए गए राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मानव संसाधनों (प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स) की स्थिति **तालिका 2.8** में दी गई है।

तालिका 2.8: मार्च 2021 तक नमूना जांच किए गए राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मानव शक्ति की स्थिति

क्र० सं०	संवर्ग	1 अप्रैल 2016 को स्वीकृत पदों की संख्या	1 अप्रैल 2016 को उपलब्धता	कमी(-)/ अधिकता (+)	प्रतिशत कमी(-)/ अधिकता (+)	31 मार्च 2021 को स्वीकृत पदों की संख्या	31 मार्च 2021 को उपलब्धता	कमी(-)/ अधिकता (+)	प्रतिशत कमी(-)/ अधिकता (+)
राजकीय मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर									
1	प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर/ सहायक प्रोफेसर	104	55	(-)49	(-)47	104	50	(-)54	(-)52
2	नर्सिंग स्टाफ	285	114	(-)171	(-)60	285	72	(-)213	(-)75
3	पैरामेडिक्स	151	43	(-)108	(-)72	151	49	(-)102	(-)68
योग		**540**	**212**	(-)**328**	(-)**61**	**540**	**171**	(-)**369**	(-)**68**
राजकीय मेडिकल कॉलेज, मेरठ									
1	प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर/ सहायक प्रोफेसर	187	118	(-)69	(-)37	192	126	(-)66	(-)34
2	नर्सिंग स्टाफ	180	331[15]	(+)151	(+)84	276	386[16]	(+)110	(+)40
3	पैरामेडिक्स	103	82	(-)21	(-)20	111	91	(-)20	(-)18
योग		**470**	**531**	(+)**61**	(+)**13**	**579**	**603**	(+)**24**	(+)**04**

(स्रोतः नमूना जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कॉलेज)

तालिका 2.8 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2016-17 की तुलना में राजकीय मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर में नर्सिंग स्टाफ की कमी 60 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई थी। यद्यपि, राजकीय मेडिकल कॉलेज, मेरठ में अप्रैल 2016 में 151 से मार्च 2021 में 110 तक की सीमा में अधिक नर्सिंग

[15] 183 आउटसोर्स नर्सिंग स्टाफ सम्मिलित।

[16] 246 आउटसोर्स नर्सिंग स्टाफ सम्मिलित।

स्टाफ को तैनात किया गया था। पैरामेडिक्स संवर्ग में, 2016-17 की तुलना में राजकीय मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर (72 प्रतिशत से 68 प्रतिशत तक रिक्तियां कम हुई) और राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ (21 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक रिक्तियां कम हुई) में कुछ सुधार देखा गया।

अग्रेतर, नमूना जांच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों में चयनित पांच नैदानिक विभागों में शिक्षण कर्मचारियों की उपलब्धता के विश्लेषण से पता चला कि 31 मार्च 2022 तक राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर में नैदानिक विभागों में 38 प्रतिशत चिकित्सकों की कमी थी, जबकि राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में तीन नैदानिक विभागों में 44 प्रतिशत चिकित्सकों की कमी थी। विवरण **तालिका 2.9** में दिया गया है।

तालिका 2.9: मार्च 2022 तक नमूना जांच किए गए राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मानव शक्ति की कमी

विभाग	राजकीय मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर				राजकीय मेडिकल कॉलेज, मेरठ			
	स्वीकृत पद	उपलब्ध मानवशक्ति	रिक्त पद	प्रतिशत रिक्त	स्वीकृत पद	उपलब्ध मानवशक्ति	रिक्त पद	प्रतिशत रिक्त
मेडिसिन	9	6	3	33	14	10	4	29
सर्जरी	9	7	2	22	13	13	0	0
बालरोग	4	3	1	25	12	9	3	25
प्रसूति एवं स्त्री रोग	8	5	3	38	18	10	8	44
अर्थोपेडिक्स	4	3	1	25	6	6	0	0
योग	**34**	**24**	**10**	**29**	**63**	**48**	**15**	**24**

(स्रोतः राजकीय मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज, मेरठ)

लेखापरीक्षा की अग्रेतर जांच से पाया गया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर के पांच नमूना जांच किये गये विभागों में चिकित्सको की कमी 22 प्रतिशत से 39 प्रतिशत तक थी। राजकीय मेडिकल कॉलेज, मेरठ में अर्थोपेडिक्स और सर्जरी विभाग में आवश्यक संख्या में चिकित्सक थे जबकि अन्य विभागों को 25 प्रतिशत से 44 प्रतिशत तक चिकित्सकों की कमी का सामना करना पड़ रहा था।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

2.5 प्राथमिक और द्वितीयक स्तर की इकाईयों में मानव संसाधन

लेखापरीक्षा द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों में जोकि अनिवार्य चिकित्सकीय सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक थीं, चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ संवर्गो में भारी कमी पायी गई जैसा कि **तालिका 2.10** में वर्णित है।

तालिका 2.10: राज्य के प्राथमिक और द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों में मानव संसाधन की कमी

संवर्ग	1 अप्रैल 2016 को स्वीकृत पदों की संख्या	1 अप्रैल 2016 को उपलब्धता	कमी	कमी का प्रतिशत	31 मार्च 2022 को स्वीकृत पदों की संख्या	31 मार्च 2022 को उपलब्धता	कमी	कमी का प्रतिशत
चिकित्सक	22101	13044	9057	41	25035	15370	9665	39
नर्स	16063	10176	5887	37	29264	16012	13252	45
पैरामेडिक्स	20674	15321	5353	26	27107	19582	7525	28

(स्रोतः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)

तालिका 2.10 दर्शाता है कि चिकित्सकों के संवर्ग में 31 मार्च 2022 तक कुछ सुधार हुआ (41 प्रतिशत से घटकर कमी 39 प्रतिशत हो गई) तथापि रोगियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह कमी अभी भी अधिक थी। इसी प्रकार, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ में क्रमशः 28 प्रतिशत और 45 प्रतिशत की कमी देखी गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई भर्ती प्रक्रिया में इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुए जैसाकि **प्रस्तर 2.7.1** में चर्चा किया गया है।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

2.5.1 नमूना जाँच किये गये जिला चिकित्सालयों में मानव संसाधन

राज्य सरकार द्वारा 100 शैय्या वाले संयुक्त जिला चिकित्सालयों को छोड़कर जिला चिकित्सालयों हेतु मानव संसाधनों के आवंटन के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया था। अग्रेतर, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक द्वारा 500 शैय्या वाले चिकित्सालयों तक मानव शक्ति के लिए मानदंड निर्धारित किए गये हैं। चिकित्सकों, स्टाफ नर्स और पैरामेडिक्स संवर्ग में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्वीकृत पद और भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंड के सापेक्ष मानव शक्ति संसाधनों की कमी या अधिकता का सारांश **तालिका 2.11** में दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.11: नमूना जांच किए गए जिला चिकित्सालयों में मानव शक्ति की कमी या आधिकता

संवर्ग	कमी की सीमा (संख्या में)		अधिकता (संख्या में)	
	भारतीय सार्वजानिक स्वास्थ्य मानक के अनुसार मानदंड	स्वीकृत पद के अनुसार	भारतीय सार्वजानिक स्वास्थ्य मानक के अनुसार मानदंड	स्वीकृत पद के अनुसार
चिकित्सक	3 से 41	1 से 34	0	1
स्टाफ नर्स	15 से 165	1 से 67	0	0
पैरामेडिक्स	20 से 69	1 से 8	0	0

(स्रोतः नमूना जाँच किये गए जिला चिकित्सालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

तालिका 2.11 से यह स्पष्ट है:

- सभी 14 नमूना जांच किए गए जिला चिकित्सालयों[17] में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंड के सापेक्ष तीन से 41 चिकित्सकों की कमी थी;
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 14 नमूना जांच किए गए जिला चिकित्सालयों में से 12 में स्वीकृत संख्या के सापेक्ष एक से 34 चिकित्सकों की कमी देखी गई। शेष दो जिला चिकित्सालयों (जिला महिला चिकित्सालय हमीरपुर और लखनऊ) में, एक-एक चिकित्सक स्वीकृत संख्या से अधिक उपलब्ध था।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि:

- नमूना जांच किए गए 14 जिला चिकित्सालयों में से छः[18] में स्वीकृत पद भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंड (1 से 30 चिकित्सक) से अधिक थी; और
- नमूना जांच किए गए शेष आठ जिला चिकित्सालयों में से सात में, चिकित्सकों के स्वीकृत पद भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों (7 से 34 चिकित्सक) से कम थी।
- नमूना जांच किए गए जिला महिला चिकित्सालय, सहारनपुर में स्वीकृत पद भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंड के बराबर थी।

इस प्रकार, चिकित्सकों के स्वीकृत पद न तो भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों के अनुसार था और न ही किसी अन्य मानदंड के आधार पर निर्धारित था।

---

[17] जिला पुरूष चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय गाज़ीपुर माह अप्रैल 2021 से शिक्षण चिकित्सालय में परिवर्तित होकर मेडिकल कालेज से सम्बद्ध हो गया था।

[18] जिला पुरूष चिकित्सालय, हमीरपुर, जालौन, कानपुर नगर, लखनऊ, सहारनपुर एवं संयुक्त जिला चिकित्सालय कुशीनगर।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि नर्सिंग संवर्ग में:

- भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंड के सापेक्ष 15 से 165 की कमी थी; तथा
- सभी नमूना जांच किए गए जिला चिकित्सालयों में राज्य सरकार द्वारा स्टाफ नर्सो के लिए निर्धारित स्वीकृत पद के सापेक्ष एक से 67 पदों की कमी थी।

इसी प्रकार, पैरामेडिक्स संवर्ग में,

- सभी नमूना जांच किए गए जिला चिकित्सालयों में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंड के सापेक्ष 20 से 69 पैरामेडिक्स की कमी थी;
- नमूना जांच किए गए 10 जिला चिकित्सालयों में एक से 8 पैरामेडिक्स की कमी थी; तथा
- शेष चार जिला चिकित्सालयों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के सापेक्ष समान संख्या में पैरामेडिक्स उपलब्ध थे।

इस प्रकार, जिला चिकित्सालयों में महत्वपूर्ण संवर्गो के अन्तर्गत चिकित्सकों, स्टाफ नर्सो एवं पैरामेडिक्स के मानव शक्ति संसाधन की कमी थी।

2.5.2 विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी

जिला चिकित्सालय सर्जरी, रेडियोलॉजी, मेडिसिन, आदि जैसी विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता हैं। राज्य में 106 जिला चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों[19] द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता **तालिका 2.12** में दी गई है।

तालिका 2.12: राज्य में 31 मार्च 2022 तक जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता

विशेषज्ञता	उपलब्ध 41 जिला पुरूष चिकित्सालयों में से		उपलब्ध 39 जिला महिला चिकित्सालयों में से		उपलब्ध 26 संयुक्त जिला चिकित्सालयों में से	
	संख्या*	प्रतिशत**	संख्या*	प्रतिशत**	संख्या*	प्रतिशत**
एनेस्थेटिस्ट	35	85	30	77	18	69
बाल रोग विशेषज्ञ	33	80	36	92	21	81
दन्त चिकित्सक	23	56	शून्य	$$	14	54

[19] 107 जिला चिकित्सालयों में से एक जिला चिकित्सालय (100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय, भदोही) संचालित नही था।

विशेषज्ञता	उपलब्ध 41 जिला पुरूष चिकित्सालयों में से		उपलब्ध 39 जिला महिला चिकित्सालयों में से		उपलब्ध 26 संयुक्त जिला चिकित्सालयों में से	
	संख्या*	प्रतिशत**	संख्या*	प्रतिशत**	संख्या*	प्रतिशत**
त्वचा रोग विशेषज्ञ	21	51	2	$$	10	38
नाक, कान, गला	32	78	शून्य	$$	14	54
नेत्र विशेषज्ञ	38	93	शून्य	$$	22	85
जनरल मेडिसिन	27	66	2	$$	18	69
जनरल सर्जरी	36	88	5	$$	21	81
प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ	6[20]	$	38	97	19	73
अस्थि रोग विशेषज्ञ	35	85	शून्य	$$	19	73
प्रयोगशाला विशेषज्ञ	31	76	25	64	17	65
मनोचिकित्सक	11	27	शून्य	$$	3	12
रेडियोलॉजिस्ट	24	59	17	44	20	77

(स्रोतः जिला चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई)

संख्या*: यह उन चिकित्सालयों की संख्या दर्शाता है जिनमें सम्बंधित विशेषज्ञ उपलब्ध थे।

प्रतिशत**: यह उन चिकित्सालयों का प्रतिशत दर्शाता है जिनमें विभिन्न विशेषज्ञ उपलब्ध थे।

$: जिला चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार जिला पुरूष चिकित्सालय, पुरूष चिकित्सालय है जो स्त्री रोग की सेवाएं नही प्रदान कर रहे है। यद्यपि, जिला पुरूष चिकित्सालय (डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चिकित्सालय, लखनऊ) में प्रसूति वाह्य रोगी सेवा थी परन्तु कोई प्रसव कक्ष एवं प्रसव शल्य चिकित्सा सेवा नही थी।

$$:जिला महिला चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों/अधीक्षिकाओं द्वारा बताया गया कि प्रसूति एवं स्त्री रोग तथा बाल रोग के अतिरिक्त अन्य सेवाएं जिला महिला चिकित्सालयों में उपलब्ध/लागू नही है। अग्रेतर, 100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय में मानव संसाधन के लिए राज्य सरकार के आदेश (मार्च 2016) के अनुसार, चिकित्सालय के महिला विभाग के लिए प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग, एनेस्थिसिया एवं रेडियोलाजी के विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। जिला महिला चिकित्सालयों में उपलब्ध विशेषज्ञों के प्रतिशत की गणना राज्य सरकार के आदेश (मार्च 2016) के अनुक्रम में की गयी है।

तालिका 2.12 इंगित करती है कि किसी भी जिला पुरूष चिकित्सालय एवं और संयुक्त जिला चिकित्सालय में आवश्यक सभी विशेषज्ञ नहीं थे। जिला पुरूष चिकित्सालय (73 प्रतिशत) एवं संयुक्त जिला चिकित्सालय (88 प्रतिशत) में मनोचिकित्सकों की सर्वाधिक कमी थी, इसके बाद त्वचा विशेषज्ञों (जिला पुरूष चिकित्सालयों में 66 प्रतिशत और संयुक्त जिला चिकित्सालयों में 62 प्रतिशत) और दंत चिकित्सकों (जिला पुरूष चिकित्सालयों में 61 प्रतिशत और संयुक्त जिला चिकित्सालयों में 46 प्रतिशत) की कमी थी। जिला पुरूष चिकित्सालयों में विभिन्न विशेषज्ञों की उपलब्धता 27 प्रतिशत से 93 प्रतिशत के बीच थी जबकि संयुक्त जिला चिकित्सालयों में यह 12 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के बीच थी। अग्रेतर, जिला महिला चिकित्सालयों में 92 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञ एवं

[20] छः जिला चिकित्सालयों (मलखान सिंह जिला चिकित्सालय, अलीगढ़; श्रीराम चिकित्सालय, अयोध्या; डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ; जिला चिकित्सालय, मऊ; मोती लाल नेहरू मण्डलीय चिकित्सालय, प्रयागराज एवं तेज बहादुर सप्रु चिकित्सालय, प्रयागराज) में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात थे।

97 प्रतिशत प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध थे। भर्ती एजेंसी द्वारा चिकित्सकों/विशेषज्ञों की भर्ती की धीमी गति कमी का मुख्य कारण था जैसा कि **प्रस्तर 2.7.1** में चर्चा किया गया है। नमूना जांच किये गए जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता का विवरण **तालिका 2.13** में दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.4 (क-ड)** में दिया गया है।

तालिका 2.13: नमूना जांच किए गए जिला चिकित्सालयों[21] में 31 मार्च 2022 तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति

विशेषज्ञ	नमूना जाँच किये गए चिकित्सालयों की संख्या	नमूना जांच किये गए चिकित्सालय जिनमें विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थे	भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंड	स्वीकृत पदों की संख्या	विशेषज्ञों की उपलब्धता	कमी (-)/अधिक्य (+)	
						भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के अनुसार	स्वीकृत पदों की संख्या के अनुसार
1-जनरल मेडिसिन	08	03	24	28	17	-07	-11
2-जनरल सर्जरी	08	01	21	25	17	-04	-08
3-प्रसूति एवं स्त्री रोग	08	उपलब्ध	21	50	38	+17	-12
4-बाल रोग	14	03	41	35	32	-09	-03
5-एनेस्थेटिस्ट	14	उपलब्ध	32	43	28	-04	-15
6-नेत्र विज्ञान	08	उपलब्ध	12	21	18	+06	-03
7-अर्थोपेडिक्स	08	02	12	25	22	+10	-03
8-रेडियोलॉजिस्ट	14	06	20	29	10	-10	-19
9-पैथोलॉजिस्ट	14	01	30[22]	27	21	-09	-06
10-नाक कान गला	08	उपलब्ध	12	13	14	+02	+01
11-दंत चिकित्सक	08	01	15	10	08	-07	-02
योग			**240**	**306**	**225**	**-50** **+35**	**-82** **+01**

(स्रोतः नमूना जांच किये गये जिला चिकित्सालय)

तलिका 2.13 इंगित करता है कि जिला चिकित्सालयों में स्वीकृत पद भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों के अनुरूप नहीं थे। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों के अनुसार न्यूनतम 240 विशेषज्ञों की अवश्यकता के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा इन जिला चिकित्सालयों में अंतर-चिकित्सालय

[21] जिला पुरूष चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय गाज़ीपुर माह अप्रैल 2021 से शिक्षण चिकित्सालय में परिवर्तित होकर मेडिकल कालेज से सम्बद्ध हो गया था।

[22] भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंड के अनुसार, पैथोलॉजिस्ट 50 शैय्या वाले चिकित्सालयों से ऊपर आवश्यक था जबकि जिला महिला अस्पताल, हमीरपुर में मात्र 32 शैय्या थे अतः यह चिकित्सालय इसमे सम्मिलित नही है।

भिन्नताओं के साथ 306 पद स्वीकृत किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया कि भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों के सापेक्ष सात नैदानिक विभागों में 50 विशेषज्ञों की कमी थी। इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्वीकृत पदों के सापेक्ष 10 नैदानिक विभागों में 82 विशेषज्ञों की कमी थी।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि विशेषज्ञों की तैनाती आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी जैसाकि **परिशिष्ट 2.4 (क-ड)** में विस्तृत विवरण अंकित है। नमूना जांच किये गये आठ जिला चिकित्सालयों में से तीन (38 प्रतिशत) में जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ नहीं थे, जबकि एक जिला चिकित्सालय में जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ के स्वीकृत पद के सापेक्ष एक चिकित्सक की तैनाती अधिक थी। अग्रेतर, तीन जिला चिकित्सालयों (जिला पुरूष चिकित्सालय, हमीरपुर; जिला पुरूष चिकित्सालय, जालौन एवं संयुक्त जिला चिकित्सालय, कन्नौज) में कोई बाल रोग विशेषज्ञ नही था, जबकि चार जिला चिकित्सालयों (जिला महिला चिकित्सालय, हमीरपुर; जिला पुरूष चिकित्सालय, कानपुर नगर; जिला पुरूष चिकित्सालय, लखनऊ एवं जिला पुरूष चिकित्सालय, उन्नाव) में स्वीकृत पद के सापेक्ष तैनाती अधिक थी। इसी प्रकार के प्रकरण नमूना जांच किये गये जिला चिकित्सालयों में अन्य विशेषज्ञों की तैनाती में भी देखे गये। अतः, नमूना जांच किये गये जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञों की युक्तिसंगत तैनाती का अभाव था।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

2.5.3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

राज्य सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के 46 पदों के मानव संसाधन के मानदंडों के सापेक्ष 17 मानव संसाधनों[23] के आवंटन के लिए मानक निर्धारित किए थे। नमूना जांच किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, पैरामेडिक एवं नर्सों के संवर्ग में राज्य और भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों की तुलना में मानव शक्ति की उपलब्धता का विवरण **परिशिष्ट 2.5** में एवं **तालिका 2.14** में संक्षेप में दिया गया है।

[23] फिजीशियन - (01), सर्जन - (01), स्त्री रोग विशेषज्ञ - (01), एनेस्थेटिक - (01), रेडियोलॉजिस्ट - (01), दंत शल्यक - (01), लैब तकनीशियन - (01), एक्स-रे तकनीशियन - (01), डेन्टल हाईजेनिस्ट - (01), फार्मासिस्ट - (02), स्टाफ नर्स - (03), वरिष्ठ लिपिक - (01), वाहन चालक - (01), डार्क रूम सहायक - (01)।

तालिका 2.14: नमूना जांच किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानव शक्ति की कमी या आधिकता

संवर्ग	भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के अनुसार अधिकता/कमी				उत्तर प्रदेश शासन के मानको के अनुसार अधिकता/कमी			
	नमूना जाँच किये गए सामु० स्वा० केन्द्रों की संख्या	मानवशक्ति की कमी	नमूना जाँच किये गए सामु० स्वा० केन्द्रों की संख्या	मानवशक्ति की अधिकता	नमूना जाँच किये गए सामु० स्वा० केन्द्रों की संख्या	मानवशक्ति की कमी	नमूना जाँच किये गए सामु० स्वा० केन्द्रों की संख्या	मानवशक्ति की अधिकता
चिकित्सक	16	01 से 09	3	01 से 03	5	02 से 04	14	01 से 08
स्टाफ नर्स	18	02 से 10	शून्य	शून्य	2	01 से 02	14	01 से 08
पैरामेडिक्स	11	01 से 08	6	01 से 07	3	01 से 02	15	01 से 13

(स्रोत: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)

तालिका 2.14 से यह स्पष्ट है कि चिकित्सको के संवर्ग में:

- भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों के सापेक्ष 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक से नौ चिकित्सको की कमी थी और तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक से तीन चिकित्सको की अधिकता थी;
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के सापेक्ष पांच सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दो से चार चिकित्सकों की कमी थी और 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक से आठ चिकित्सकों की अधिकता थी।

इसी प्रकार, स्टाफ नर्स के संवर्ग में:

- भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों में आवश्यक मानव शक्ति के सापेक्ष 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दो से 10 स्टाफ नर्सों की कमी थी और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मानव शक्ति की संख्या समान थी;
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के सापेक्ष दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक से दो स्टाफ नर्स की कमी थी एवं 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक से आठ स्टाफ नर्स की अधिकता थी; तथा
- शासकीय मानदंडों के सापेक्ष तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक मानव शक्ति की संख्या समान थी।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि पैरामेडिक्स के संवर्ग में:

- भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों के सापेक्ष 11 सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्रों में एक से आठ पैरामेडिक्स की कमी थी एवं छः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक से सात पैरामेडिक्स अधिक थे;

- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के सापेक्ष तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक से दो पैरामेडिक्स की कमी थी एवं 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक से 13 पैरामेडिक्स अधिक थे।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

2.5.4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 13 मानव संसाधन[24] के मानदंड के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा दो मानव[25] संसाधन के आवंटन के लिए मानक निर्धारित किया गया था। नमूना जाँच किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और नर्सों के संवर्ग में राज्य और भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों की तुलना में मानव शक्ति की उपलब्धता का सारांश **परिशिष्ट 2.6 (अ-द)** में दिया गया है जिसे **तालिका 2.15** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.15: नमूना जाँच किए गए 38 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानव शक्ति की कमी/आधिकता

संवर्ग	भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के अनुसार आवश्यक मानदंड	उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार आवश्यक मानक	उपलब्धता	भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के सापेक्ष कमी (-)/आधिकता(+)	उत्तर प्रदेश शासन के मानको के सापेक्ष कमी (-)/ आधिकता(+)
चिकित्सक	38	38	43	(+) 05	(+) 05
स्टाफ नर्स	114	कोई मानक निर्धारित नही	07	(-) 107	कोई मानक निर्धारित नही
फार्मासिस्ट	38	38	42	(+) 04	(+) 04
पैरामेडिक्स (फार्मासिस्ट के अतिरिक्त)	152	कोई मानक निर्धारित नही	34	(-) 118	कोई मानक निर्धारित नही
योग	**342**	**76**	**126**	**(-) 216**	**(+) 09 (चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट के प्रकरण में)**

(स्रोतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

[24] जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी (एम0बी0बी0एस0), एक लेखाकार-सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, एक फार्मासिस्ट, तीन नर्स-मिडवाइफ (स्टाफ नर्स), एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला), एक स्वास्थ्य सहायक (पुरूष), एक स्वास्थ्य सहायक (महिला)/लेडी हेल्थ विजिटर, एक लैब तकनीशियन, दो मल्टी-स्किल्ड ग्रुप डी कार्यकर्ता एवं एक स्वच्छता कार्यकर्ता-सह चौकीदार सम्मिलित है।

[25] चिकित्सा अधिकारी - (01) एवं फार्मासिस्ट - (01)।

तालिका 2.15 से यह देखा जा सकता है कि नमूना जांच किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उत्तर प्रदेश शासन के मानक के संदर्भ में पांच चिकित्सकों और चार फार्मासिस्टों की अधिकता थी, यद्यपि, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के अनुसार 107 स्टाफ नर्सों और 117 पैरामेडिक्स (फार्मासिस्टों के अतिरिक्त) की कमी थी। नमूना जाँच किए गए 84 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सिंग स्टाफ की तैनाती नहीं थी।

अग्रेतर, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक (अनिवार्य) और एक आयुष चिकित्सक (वांछनीय) को तैनात किया जाना था। तथापि, यह पाया गया था किः

- नमूना जांच किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात 43 चिकित्सकों में से 21 चिकित्सक आयुष के थे जो भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के मानदंडों का उल्लंघन कर रहे थे।
- अग्रेतर, नमूना जांच किए गए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दो एलोपैथिक चिकित्सक, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक एलोपैथिक एवं दो आयुष चिकित्सक थे;
- एलोपैथिक चिकित्सकों द्वारा 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सेवाएं दी जा रही थी जबकि 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष चिकित्सक सेवा प्रदान कर रहे थे।
- चार[26] प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं था।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानव शक्ति की कमी के कारण रोगियों को उनके निकटतम स्थान पर आकस्मिक एवं चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करने के सरकार के उद्देश्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

अग्रेतर, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (टाइप-ए[27]) को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के अनुसार एक चिकित्सा अधिकारी और 12 पैरामेडिकल एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाना है। नौ जिलों में 38 नमूना जांच किये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मार्च 2022 तक मानव शक्ति की स्थिति **तालिका 2.16** में दी गई है।

[26] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर एवं पुरैनी (हमीरपुर), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जौरा बाज़ार एवं सकरौली (कुशीनगर)।

[27] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहॉ पर एक माह में 20 से कम प्रसव होता है।

तालिका 2.16: नमूना जांच किये गए टाइप-ए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानव शक्ति की स्थिति

क्र. सं.	जनपद का नाम	लेखापरीक्षा किये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	पैरामेडिकल स्टाफ के बिना संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र					
			लैब तकनीशियन	फार्मासिस्ट	लेखाकार सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	स्वास्थ्य सहायक (पुरुष)	स्वास्थ्य सहायक लेडी/(महिला) हेल्थ विजिटर
1	गाजीपुर	4	4	0	4	4	4	4
2	हमीरपुर	4	4	0	4	0	2	4
3	जालौन	4	3	0	4	1	2	2
4	कन्नौज	4	4	0	4	3	4	4
5	कानपुर नगर	4	4	0	4	3	3	4
6	कुशीनगर	4	4	1	4	3	4	4
7	लखनऊ	6	5	0	6	2	6	6
8	सहारनपुर	4	4	1	4	2	4	4
9	उन्नाव	4	4	0	4	4	4	4
योग		**38**	**36**	**2**	**38**	**22**	**33**	**36**
प्रतिशत कमी			**95**	**5**	**100**	**58**	**87**	**95**

(स्रोतः नमूना जाँच किये गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)

ऊपर से यह देखा जा सकता है कि नौ जिलों के 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (95 प्रतिशत), आठ जिलों के 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (58 प्रतिशत), नौ जिलों के 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (87 प्रतिशत) और नौ जिलों के 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (95 प्रतिशत) में क्रमशः लैब तकनीशियन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला), स्वास्थ्य सहायक (पुरूष) और स्वास्थ्य सहायक (महिला) /लेडी हेल्थ विजिटर उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोई भी लेखाकार सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर तैनात नहीं था। विवरण **परिशिष्ट 2.7 (क-च)** में दिया गया है।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

2.5.5 उप केंद्र

राज्य सरकार ने उपकेंद्रों हेतु मानव संसाधनों के आवंटन के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किए थे। यद्यपि, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के अनुसार उपकेंद्रों के संचालन के लिए एक ए.एन.एम./स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ जिलों में सभी 72 नमूना जांच किए गए उपकेंद्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) तैनात नहीं थे। अग्रेतर, तीन जिलों के छः उपकेंद्रों में 13 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक ए.एन.एम./स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) की कमी थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनपद कुशीनगर में पांच उपकेंद्रों में एक समय में दो ए.एन.एम. थी।

यह इस तथ्य का संकेत था कि ये उपकेंद्र ग्रामीण आबादी को इच्छित लाभ नहीं दे रहे थे। विवरण **परिशिष्ट 2.8 (अ-ब)** में दिया गया है।

2.5.6 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर

आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश में कुल 10,689 उप-केंद्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर स्थापित किए गए थे। मिशन निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनता को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं[28] प्रदान करने के लिए उपकेंद्र स्तर पर प्रत्येक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का मानदंड निर्धारित (अगस्त 2021) किया गया था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि राज्य सरकार ने संविदा के आधार पर इन उप-केंद्र स्तर के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के लिए 11,572 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किए, जिनमें से 10,463 ने कार्यभार ग्रहण किया। यद्यपि, सितंबर 2022 तक इन 10,689 उपकेंद्र स्तर के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर में केवल 7,529 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी काम कर रहे थे, जिसमें 3,167 उप-केंद्र स्तर के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर (30 प्रतिशत) पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नहीं थे। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि 18 नमूना जांच किए गए हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर में तीन में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नहीं थे। विवरण **परिशिष्ट-2.9** में दिया गया है।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

2.6 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानव संसाधन

मिशन निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा/आउटसोर्स के आधार पर

[28] सभी मातृ महिलाओं का प्रसव पूर्व देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल, बाल्यावस्था एवं किशोर देखभाल, परिवार नियोजन सम्बंधी सेवाएं, रोगियों के लिए ओपीडी, संचारी रोग का प्रबंधन, रेफरल और अनुवर्ती कार्यवाही तथा सामुदायिक स्तर की सेवाएं।

लगे हुए चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिक्स में भारी कमी थी। विवरण **तालिका 2.17** में दिया गया है।

तालिका 2.17: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तर पर मानव शक्ति की कमी अथवा आधिकता

संवर्ग	1 अप्रैल 2016 के अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या	1 अप्रैल 2016 के अनुसार उपलब्धता	कमी	कमी का प्रतिशत	31 मार्च 2022 के अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या	31 मार्च 2022 को उपलब्धता	कमी	कमी का प्रतिशत
चिकित्सक	7870	5995	1875	24	9865	6372	3493	35
नर्स	7931	6257	1674	21	19599	10283	9316	48
पैरामेडिक्स	6658	5238	1420	21	10401	5630	4771	46

(स्रोतः राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, लखनऊ)

(नोटः स्वीकृत पदों और उपलब्धता में संविदा एवं आउटसोर्स कर्मी सम्मिलित हैं)

तालिका 2.17 से यह देखा जा सकता है कि अप्रैल 2016 के सापेक्ष मार्च 2022 में स्वीकृत पदों में बढ़ोत्तरी हुई है। यद्यपि, मार्च 2022 में उपलब्ध चिकित्सको (35 प्रतिशत), नर्सो (48 प्रतिशत) एवं पैरामेडिक्स (46 प्रतिशत) के संवर्ग में कमी थी।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

2.7 रिक्तियों का आकलन

कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत (अक्टूबर 2014) आदेश के अनुसार सभी विभागों को अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजना आवश्यक था। अग्रेतर, राज्य सरकार की अधिसूचना (दिसम्बर 2014) में कहा गया है कि ग्रेड वेतन 1,900 से 4,600 रूपये से कम वाले पदों पर भर्ती का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे जायेंगे। तदनुसार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सकों एवं नर्सों की भर्ती का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज रहा था। रिक्तियों का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया थी क्योंकि विभाग द्वारा आगे की प्रक्रियाओं के लिए भर्ती एजेंसियों को प्रस्तुत किये जाने हेतु कर्मचारियों की अधिवर्षिता के कारण आगामी तीन वर्षों में सृजित होने वाली रिक्तियों का ऑकलन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षित पदों पर सम्मिलित करते हुए किया जाना था ।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभाग ने समय पर रिक्तियों का ऑकलन नहीं किया था। विभाग ने भविष्य में होने वाली रिक्तियों का ऑकलन करने के स्थान पर पूर्व के वर्षों में सृजित रिक्तियों का अधियाचन भर्ती एजेंसियों को भेजा। अग्रेतर, जांच से पता चला कि 2016-17 से 2018-19 के मध्य रिक्त पड़े नर्सों के 4,727 पदों (1,101 नए पदों सहित) का अधियाचन जून 2016 (2,930 पद), जनवरी 2017 (1,101 पद) एवं नवंबर 2019 (696 पद) के मध्य भेजे गए थे। इसी प्रकार, 174 डेण्टल सर्जन (जुलाई 2017 से जून 2021 के मध्य सेवानिवृत्ति, नये पदों के सृजन आदि के कारण बनाये गये 110 पद सहित) का अधियाचन अक्टूबर 2021 में भेजे गए थे। यह न केवल शासकीय आदेश के विपरीत था, परन्तु हो सकता है कि इस कारण से साल-दर-साल भारी रिक्तियों का संचय हुआ हो।

राज्य सरकार (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि वर्ष 2017 और 2021 के लिए डेंटल सर्जन के भर्ती के अधियाचन भेजे गए थे।

2.7.1 भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण में चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिक्स की भर्ती प्रक्रिया का विश्लेषण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से किया।

चिकित्सकों की भर्ती

राज्य सरकार ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 2004 को अधिसूचित (अगस्त 2004) किया जिसे मई 2011 और दिसंबर 2020 में संशोधित किया गया था। मई 2011 के संसोधन के अनुसार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सको की नियुक्ति आयोजित साक्षात्कार के आधार पर की जानी थी। अग्रेतर, दिसंबर 2020 में संशोधन के अनुसार, पात्र उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार भी देना था।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभिलेखों की जांच से पता चला है कि 2017-18 से 2020-21 के मध्य चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में

6,576 चिकित्सकों की भर्ती का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, जिसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया था। यद्यपि, नियुक्ति के लिए केवल 3,816 (58 प्रतिशत) उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के लिए एक मामले में न्यूनतम सात महीने एवं अन्य एक मामले में अधिकतम 38 महीने लिया गया।

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रकरण में 1,301 प्राचार्यों, प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचनों के सापेक्ष मात्र 498 (38 प्रतिशत) की सिफारिश की जा सकी थी। भर्ती एजेंसी द्वारा लिया गया समय 6 से 41 महीने के मध्य था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सितंबर 2014 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे गए 160 व्याख्याताओं (सहायक प्रोफेसर) तथा नवंबर 2017 में 265 व्याख्याताओं (सहायक प्रोफेसर) के अधियाचन को पूरा नहीं किया गया क्योंकि नवंबर 2018 में भर्ती नियमों में पदनाम, आयु और पात्रता में संसोधन किया गया था। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग को अधियाचनों को अप्रैल 2019 में वापस भेज दिया गया था। अतः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजने के एक से चार वर्ष बाद भी भर्ती पूर्ण नहीं की जा सकी, यद्यपि, नवंबर 2018 में भर्ती नियमों में संशोधन से पूर्व भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विभाग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पर्याप्त समय था। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण न होने से अंततः राजकीय मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की कमी बनी रही।

शासन (चिकित्सा स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण) ने फरवरी 2023 में उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब प्रक्रियात्मक है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के सम्बंध में शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त है।

तथ्य यह रहा कि या तो पूरी रिक्तियां अधूरी थी या आंशिक रूप से भरी गईं।

नर्सों की भर्ती

अभिलेखों की जांच से पता चला है कि स्टाफ नर्सों की भर्ती के लिए 9,417 अधियाचनों (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) में से, 2016-22 के मध्य 5,402 (57 प्रतिशत) नर्सों की भर्ती की गई थी तथा 3,722 पदों को वांछित योग्यता वाले उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण भरा नही जा सका। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को

जुलाई 2016 में भेजे गए 4,674 स्टाफ नर्सों के दो अधियाचनों में से 4,381 के सापेक्ष 2,388 नर्सों की भर्ती (54 प्रतिशत) सितंबर 2018 में 26 महीनों में पूर्ण हुई जबकि 448 नर्सों के अधियाचन (155 पद चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के सम्मिलित हैं) माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका, अतः भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगने वाला समय चिकित्सकों हेतु लिए गए समय से बेहतर था, यद्यपि काफी विलम्ब था। इसी प्रकार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा फरवरी 2020 और नवंबर 2020 के मध्य भेजे गए 4,743 नर्सों के तीन अधियाचनों में से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जनवरी 2022 तक 3,014 नर्सों की भर्ती चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से अधियाचनों की प्राप्ति की तिथि से 13 से 22 महीने तक का समय लेने के उपरान्त किया।

पैरामेडिक्स कर्मचारियों की भर्ती

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए उत्तरदायी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा 2016-21 के मध्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 9,814 नेत्र परीक्षण अधिकारियों, प्रौद्योगिकीविदों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, एक्स-रे तकनीशियनों, जीवविज्ञानियों और डेण्टल हाईजिनीस्ट के लिए नौ अधियाचन भेजे गए थे। जिनमें से 9,668 पदों के आठ अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पांच से 77 महीने[29] तक लंबित थे, जबकि एक अधियाचन 30 महीने से महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के स्तर पर लंबित था।

इसी प्रकार, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 2015-16 (एक[30] पद), 2016-17 (192[31] पद) और 2020-21 (1,321[32] पद) में 1,514 पैरामेडिक्स के अधियाचनों में से 13 अधियाचन मई 2022 तक सात से 85[33] महीने तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लंबित थे।

इस प्रकार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा एवं

---

[29] उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्तर पर तीन अधियाचनों के लम्बित रहने से सम्बंधित सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराई गयी।

[30] फिजियोथेरेपिस्ट।

[31] लैब तकनीशियन।

[32] डार्क रूम सहायक, डेण्टल हाईजेनिस्ट, डेण्टल मैकेनिक्स, ई.सी.जी. तकनीशियन, ओ.टी. तकनीशियन, आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ओ.टी. तकनीशियन (हृदय रोग), एक्स-रे तकनीशियन एवं लैब तकनीशियन।

[33] उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्तर पर छः अधियाचनों के लम्बित रहने से सम्बंधित सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराई गयी।

प्रशिक्षण विभाग द्वारा मई 2022 तक भेजे गए 11,328 पदों के अधियाचनों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कोई भर्ती नहीं की गई परिणामस्वरूप पैरामेडिक्स की कमी हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सूचित (फरवरी 2023) किया कि पदों की कम संख्या अथवा पर्याप्त संख्या में समान पदों की अनुपलब्धता या विभाग से प्राप्त प्रस्ताव अद्यतन आरक्षण प्रावधानों के अनुसार नहीं होने के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ नही की जा सकी। अग्रेतर, फरवरी 2020 से अगस्त 2021 के मध्य कोविड-19 के कारण भी भर्ती प्रक्रिया बाधित रही। राज्य सरकार ने नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती में विलम्ब के संबंध में उत्तर नहीं दिया।

2.8 प्रशिक्षण

प्रशिक्षण किसी संगठन की मानव शक्ति के कौशल में सुधार के लिए एक सतत प्रक्रिया है। चिकित्सा क्षेत्र में लगातार प्रगति के कारण चिकित्सा विभाग के प्रकरण में प्रशिक्षण अधिक महत्व रखता है। इन क्षेत्रों में कर्मचारियों को सुसज्जित करने के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाओं के अनुकूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विकास इष्टतम महत्व का है।

2.8.1 राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान

राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राज्य का एक शीर्ष संस्थान है।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अर्थात, नए भर्ती हुए एवं पदोन्नत कार्मियों के लिए परिचयात्मक पाठ्क्रम तथा मौजूदा कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम।

परिचयात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के मध्य आयोजित वर्ष-वार परिचयात्मक पाठ्यक्रम **तालिका 2.18** में दिया गया है।

तालिका 2.18: आयोजित परिचयात्मक पाठ्यक्रम

वर्ष	आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या	बैच संख्या	दिनो की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
2018-19	02	04	27	119
2019-20	02	11	28	262
2020-21	00	00	00	00
2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)	00	00	00	00

(स्रोतः राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान)

तालिका 2.18 से यह देखा जा सकता है कि 2020-22 की अवधि के दौरान कोई परिचयात्मक पाठ्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था, जबकि वर्ष 2018-19 और 2019-20 में मात्र दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

सेवाकालीन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के मध्य आयोजित वर्ष-वार सेवाकालीन पाठ्यक्रम **तालिका 2.19** में दिया गया है।

तालिका 2.19: आयोजित सेवाकालीन पाठ्यक्रम

वर्ष	आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या	बैच संख्या	दिनो की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
2018-19	39	103	290	5539
2019-20	26	82	293	2288
2020-21	02	12	18	179
2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)	10	43	112	1017

(स्रोतः राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान)

तालिका 2.19 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 में 39 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे, जो घटकर 2019-20 में 26, 2020-21 में दो और 2021-22 (दिसंबर 2021 तक) में 10 रह गया था ।

राज्य सरकार ने राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा अपर्याप्त प्रशिक्षण के संदर्भ में उत्तर नहीं दिया।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

2.8.2 चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के मानव संसाधनों के लिए प्रशिक्षण

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यालय एवं दो नमूना जांच किए गए राजकीय मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर तथा मेरठ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान कोई प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार नहीं किया गया था।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

संक्षेप में, राज्य सरकार ने केवल 100 शैय्या वाले जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए मानव संसाधन के मानक निर्धारित किए हैं। इस प्रकार, 100 शैय्या से कम एवं अधिक के जिला चिकित्सालयों और उप-केंद्र मानव संसाधनों के ऑकलन के बिना चल रहे थे। चिकित्सकों की क्षेत्रवार तैनाती असमान थी और सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई चिकित्सको, नर्सों और पैरामेडिक्स की भारी कमी के साथ संचालित हो रही थी क्योंकि सरकार के अपूर्ण प्रस्तावों या भर्ती एजेंसियों द्वारा लिए गए लंबे समय के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में असाधारण रूप से विलम्ब हुआ था। इन सभी बाधाओं ने राजकीय चिकित्सालयों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को प्रभावित किया।

अनुशंसाएं:

राज्य सरकार को चाहिए कि:

1. ***100 शैय्या से कम एवं अधिक वाले जिला चिकित्सालयों और उपकेंद्रों के लिए मानव संसाधन का मानक तय करे;***
2. ***भर्ती एजेंसियों के परामर्श से चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिक्स संवर्गों में भारी कमी को कम करने के लिए भर्ती में तेजी लाई जाये और पदों को भरा जाये;***
3. ***चिकित्सकों की तैनाती में क्षेत्रवार असंतुलन को दूर करे।***